"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2005— वैशाख 22, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 11 मई 2005

क्रमांक 4271/21-अ/प्रारुपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12-4-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2005)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

2. (1) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की अनुसूची, 1-क में अनुच्छेद 5 (क) के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद (क क) अंतः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(क क) यदि वह ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर भवन के निर्माण से संबंधित है तथा उसमें यह अनुबंध हो कि निर्माण पश्चात्, ऐसा भवन यथास्थिति, उस अन्य व्यक्ति या भूमि के स्वामी या पट्टेदार द्वारा संयुक्तः या पृथकतः धारित किया जायेगा या यह कि ऐसे भवन का उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा या यह कि इसका एक भाग उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः धारित किया जायेगा तथा उनका शेष भाग उनके द्वारा संयुक्तः या पृथकतः विक्रय किया जायेगा."	**ऐसी भूमि के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.**

(2) अनुच्छेद 23 के कॉलम (2) में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(क) परन्तु आगे यह भी कि, जहां कोई लिखत कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 394 सहपठित धारा 391 के अधीन उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 44-क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के आदेशों के अधीन कंपनियों के समामेलन या पुनर्गठन से संबंधित हो, वहां प्रभार्य शुल्क, उस अंतरित स्थावर संपत्ति जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर स्थित हैं, के बाजार मूल्य के 7.5% के बराबर रकम या ऐसे अंतरण के विनिमय में या अन्यथा जारी या आवंटित शेयरों के बाजार मूल्य तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिफल की रकम के योग के 0.7% जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगा."

रायपुर, दिनांक 11 मई 2005

क्रमांक 4271/21-अ/प्रारूपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम 2005 (क्र. 4 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2005)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2005

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2005. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. (1) In Schedule 1-A of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the Principal Act), after Article 5 (a) the following Article (aa) shall be inserted, namely :- **Amendment of Schedule 1-A.**

"(a a)	If relating to the construction of a building on a land by a person other than the owner or lessee of such land and having a stipulation that after construction, such building shall be held jointly or severally by that other person and the owner or the lessee, as the case may be, of such land, or that it shall be sold jointly or severally by them or that a part of it shall be held jointly or severally by them and the remaining part thereof shall be sold jointly or severally by them."	**Two percent of the market value of the land.**

(2) After proviso of column (2) of Article 23 the following proviso shall be added, namely :-

"(a) provided further that, where an instrument relates to the amalgamation or reconstruction of companies under orders of the High Court under section 394 read with section 391 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under orders of the Reserve Bank of India under section 44-A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the duty chargeable shall not exceed an amount equal to 7.5% of the market value of the immovable property transferred which is located within the State of Chhattisgarh or an amount equal to 0.7% of the aggregate of the market value of the shares issued or allotted in exchange or otherwise and the amount of consideration paid for such transfer, whichever is higher."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित –2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151-स] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जून 2007—ज्येष्ठ 21, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक 5134/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28 मई, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव (विधि).

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2006)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2006

[दिनांक 28 मई, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 जून, 2007 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतावनवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2006.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में केन्द्रीय अधिनियम (क्र. 2 सन् 1899) का संशोधन.

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) को छत्तीसगढ़ राज्य में उसके लागू होने के संबंध में, उस रीति में संशोधित किया जाय जो कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है.

धारा 47-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 47-क में,

(एक) उपधारा (4) का लोप किया जाये.

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़, को ऐसी रीति में जैसी कि विहित किया जाए, कर सकेगा."

(तीन) उपधारा (6) में शब्द "प्रथम तथा द्वितीय" का लोप किया जाये.

(चार) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(8) अपील में पारित आदेश या जहां कोई अपील नहीं की गई हो, वहां उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा इसे किसी भी सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा."

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक 5134/21-अ/प्रा./छ. ग./07.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव (विधि).

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2006)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2006

[Received the assent of the President on 28th May, 2007; assent first published in the "Chhattisgarh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 11th June, 2007]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2006. **Short title and Commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, be amended in the manner hereinafter provided. **Amendment of Central Act (No. 2 of 1899) in its application to State of Chhattisgarh.**

3. In Section 47-A of the Principal Act, **Amendment of Section 47-A.**

(i) Sub-section (4) shall be omitted.

(ii) For sub-section (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may appeal, against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, Chhattisgarh, in such manner as may be prescribed."

(iii) In sub-section (6), the words, "first and second" shall be omitted.

(iv) For sub-section (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) The order passed in appeal or, where no appeal is preferred, the order passed by the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) shall be final and shall not be called into question in any Civil Court or before any other authority whatsoever."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151-स] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जून 2007—ज्येष्ठ 21, शक 1929

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक 5134/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28 मई, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव (विधि).

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2006)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2006

[दिनांक 28 मई, 2007 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 जून, 2007 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतावनवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2006.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में केन्द्रीय अधिनियम (क्र. 2 सन् 1899) का संशोधन.

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) को छत्तीसगढ़ राज्य में उसके लागू होने के संबंध में, उस रीति में संशोधित किया जाय जो कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है.

धारा 47-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 47-क में,

(एक) उपधारा (4) का लोप किया जाये.

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़, को ऐसी रीति में जैसी कि विहित किया जाए, कर सकेगा."

(तीन) उपधारा (6) में शब्द "प्रथम तथा द्वितीय" का लोप किया जाये.

(चार) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(8) अपील में पारित आदेश या जहां कोई अपील नहीं की गई हो, वहां उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा इसे किसी भी, सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.".

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक 5134/21-अ/प्रा./छ. ग./07.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1899 (क्र. 2 सन् 1899) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव (विधि).

CHHATTISGARH ACT
(No. 5 of 2006)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2006

[Received the assent of the President on 28th May, 2007; assent first published in the "Chhattisgarh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 11th June, 2007]

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2006.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Central Act (No. 2 of 1899) in its application to State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 47-A.

3. In Section 47-A of the Principal Act,

(i) Sub-section (4) shall be omitted.
(ii) For sub-section (5), the following shall be substituted, namely :—

"(5) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may appeal, against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, Chhattisgarh, in such manner as may be prescribed."

(iii) In sub-section (6), the words, "first and second" shall be omitted.

(iv) For sub-section (8), the following shall be substituted, namely :—

"(8) The order passed in appeal or, where no appeal is preferred, the order passed by the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) shall be final and shall not be called into question in any Civil Court or before any other authority whatsoever."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2010—आश्विन 26, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक 11725/डी. 222/21-अ/प्रा./छ. ग./10.--छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-06-2010 को राज्यपाल एवं दिनांक 03-10-2010 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 25 सन् 2010)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लागू हुए रूप में उस रीति में संशोधित किय जाये जो कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है.

धारा 47-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-47 क में :—

(एक) उपधारा (3-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (4) जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, विहित रीति में, संभाग के आयुक्त अथवा ऐसे अधिकारी को कर सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त हो."

(दो) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ को कर सकेगा."

(तीन) उपधारा (6) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रत्येक" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्रथम तथा द्वितीय"

(चार) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(8) द्वितीय अपील में पारित आदेश या जहां कोई द्वितीय अपील न की गई हो, वहां प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और यथास्थिति प्रथम या द्वितीय अपील में पारित किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वह आदेश जो कलेक्टर द्वारा उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा."

रायपुर, दिनांक 20 अक्टूबर 2010

क्रमांक 11725/डी. 222/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 25 of 2010)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India, as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Central Act (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amdended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 47-A.

3. In Section 47-A of the Principal Act :—

(i) After sub-section (3-A), the following sub-section (4) shall be added, namely :—

"(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) may, in the prescribed manner appeal against such order to the Commissioner of the Division or Officer so appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette."

(ii) For sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(5) Any person aggrieved by an order passed in appeal under sub-section (4) may, in the prescribed manner appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority, Chhattisgarh."

(iii) After the word "Every" in the first line of sub-section (6), the following word shall be inserted, namely :—

"first and second"

(iv) For sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(8) The order passed in second appeal or, where no second appeal is preferred, the order passed in first appeal, shall be final and subject to orders passed in first or second appeal, as the case may be, the order passed by the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) shall be final and shall not be called into question in any Civil Court or before any other Authority whatsoever."

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 348] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 6875/डी. 242/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 27 सन् 2013)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1899) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमांक 2 सन् 1899) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"भागीदारी-

(1) **भागीदारी की लिखत-**

(क)	जहां भागीदारी में, अभिदाय के कोई अंश नहीं है या जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक नहीं है.	एक हजार रुपये
(ख)	जहां अभिदाय के ऐसे अंश (नगद के माध्यम से लाये गये हों) रुपये पचास हजार से अधिक है.	अधिकतम पांच हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए अभिदत्त अंशों का दो प्रतिशत.
(ग)	जहां अभिदाय के अंश संपत्ति के माध्यम से लाये गये हों (नगद छोड़कर), अथवा जहां कालोनी विकास के प्रयोजन हेतु भागीदार अपनी स्थावर संपत्ति के अंश का अभिदाय, भागीदारी फर्म के पक्ष में करता हो.	ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत.

(2) **भागीदारी का विघटन या भागीदार की सेवानिवृत्ति -**

(क)	जहां भागीदारी का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्ति होने पर कोई स्थावर संपत्ति ऐसे भागीदार जो कि उस संपत्ति को भागीदारी में अभिदाय के अपने अंश के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने अंश के रूप में ली जाती है.	वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण-पत्र (क्रमांक-23) के रूप में लगता है.
(ख)	किसी अन्य मामले में.	पांच सौ रुपये.

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 6875/डी. 242/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 27 of 2013)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT 2013

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1 (1) This Act may be called the Indian Stamp Act, 1899 (Chhattisgarh Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, shall be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Article 46 of Schedule I-A.

3. For Article 46 of Schedule I-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"Partnership-

(1) **Instrument of partnership-**

(a)	Where there is no share of contribution in partnership or where the share of contribution (brought in by way of cash) does not exceed rupees 50,000.	One thousand rupees.
(b)	Where such share of contribution (brought in by way of cash) is in excess of rupees 50,000.	Two percent of the shares contributed subject to a maximum of rupees five thousand.
(c)	Where such share contribution is brought in by way of property, (excluding cash). OR Where for the purpose of Colony Development, a partner contributes of the share of his immovable property in favour of the partnership firm	Two percent of market value of such property.

(2) **Dissolution of partnership or retirement of a partner-**

(a)	Where on dissolution of partnership or on retirement of a partner, any immovable property is taken as his share by a partner other than a partner who brought in that prrperty as his share of contribution in the partnership.	The same duty as a conveyance (No. 23) on the market value of such property.
(b)	In any other case.	Five hundred fifty rupees.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146] रायपुर, बुधवार, दिनांक 26 मार्च 2014 — चैत्र 5, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक 2863/डी. 53/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 20-03-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 9 सन् 2014)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनूसूची 1-क में, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :-

(1) अनुच्छेद 15 के कॉलम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम या मूल्य का दो प्रतिशत." प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) अनुच्छेद 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"20क. समाशोधन सूची -

(क)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है ;	: अधिकतम एक हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया.
(ख)	यदि स्टाक एक्सचेंज के समाशोधन गृह को प्रस्तुत एक निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के शेयर स्क्रिप, डिबेन्चर स्टॉक या इसी प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय के संव्यवहारों से संबंधित है.	: ऐसी सूची की प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में यथास्थिति, मिलान कीमत या संविदा कीमत पर संगणित प्रतिभूतियों के मूल्य पर प्रत्येक दस हजार रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया."

(3) अनुच्छेद 33 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"**33. दान की लिखत**, जो परिनिर्धारण (क्रमांक 58) या वसीयत या अंतरण (क्रमांक 62) न हो ;

(क)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य न हो,	: वही शुल्क जो उस संपत्ति के जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(ख)	जब दानग्रहिता, दानदाता के परिवार का सदस्य हो.	: संपत्ति जो दान की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य के आधा प्रतिशत की दर से.

स्पष्टीकरण :- इस प्रयोजन हेतु दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

(4) अनुच्छेद 45 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"**45. विभाजन की लिखत** [धारा 2 (15) में यथा परिभाषित];

(क)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति गैर कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित हो या गैर कृषि प्रयोजन हेतु तात्पर्यित हो ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए दो हजार रुपए.
(ख)	जहां विभाजन में निहित संपत्ति कृषि भूमि है ;	: प्रत्येक अंशधारी के लिए एक सौ रुपए.
	परंतु यह कि जहां विभाजित की जाने वाली भूमि के विषय में किसी न्यायालय में न तो कोई विवाद न ही कोई मामला लंबित है ;	: कोई शुल्क देय नहीं.
	परन्तु यह और कि भूमि, जिसका विभाजन किया जा रहा है, सीलिंग के प्रावधानों के भीतर नहीं है ;	
(ग)	जहां किसी राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया अंतिम आदेश या विभाजन करने का	: दस रुपये."

निर्देश देने वाला किसी मध्यस्थ द्वारा दिया पंचाट, विभाजन की किसी लिखत के लिये अपेक्षित स्टाम्प से स्टाम्पित है और ऐसे आदेश या पंचाट के अनुसरण में विभाजन की लिखत तत्पश्चात् निष्पादित की गई है.

(5) अनुच्छेद 48 के खण्ड (च-एक) और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(च-एक) जबकि वह प्रतिफल के बिना दिया गया है और अभिकर्ता को छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी स्थावर संपत्ति को विक्रय, दान, विनिमय अथवा स्थायी रूप से अन्यांक्रान्त करने के लिए प्राधिकृत करता है ;

(क)	इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए ;	: एक हजार रुपए.
(ख)	इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए या जबकि वह अप्रतिसंहरणीय हो, या जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो ;	: वही शुल्क जो ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र (क्रमांक 23) पर लगता है.
(ग)	[illegible] रिश्ते में पिता, माता, पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, भाई या बहन, को दिया गया हो और जबकि वह किसी निश्चित अवधि के लिए तात्पर्यित न हो.	: एक हजार रुपए."

(6) अनुच्छेद 55 और तत्स्थानी कालम (1) एवं (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"55. **निर्मुक्ति**-अर्थात् कोई लिखत (जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 23-क द्वारा उपबंध किया गया है) जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर होने वाले दावे का या किसी विनिर्दिष्ट संपत्ति के विरुद्ध दावे का परित्याग करता है,

(क)	जब वे परिवार के सदस्य न हो;	वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के बंधपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(ख).	जब वे परिवार के सदस्य हो.	: वही शुल्क जो संपत्ति के उस शेयर जिस पर दावे का परित्याग किया गया है, के प्रतिफल या बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का आधा प्रतिशत.

स्पष्टीकरण :- खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए व्यक्ति के संबंध में परिवार से अभिप्रेत है व्यक्ति का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री."

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2014

क्रमांक 2863/डी. 53/21-अ/प्रारू./छ. ग./14 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 9 of 2014)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp Act, 1899 (Chhattisgarh Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh, shall be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule 1-A of the Principal Act, the following amendment shall be made, namely :-

(1) For the corresponding entries in column (2) of Article 15, the words "Two percent of the amount or value secured." shall be substituted.

(2) After Article 20, the following Article shall be inserted, namely :-

"20-A. Clearance List :-

(a)	If relating to the transactions for the purchase or sale of Government securities submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be, subject to a maximum of rupees one thousand.
(b)	If relating to the transactions for the purchase or sale of share scrip, debenture, stock or other marketable security of like nature in or of, an incorporated company or other corporate body, submitted to the clearing house of a stock exchange.	One rupee for every rupees ten thousand or part thereof in respect of each of the entries in such list on the value of securities calculated at the making up price or the contract price, as the case may be."

(3) For Article 33 and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"**33. Gift, Instrument of**, not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62) :-

(a)	When the donee is not a family member of the donor ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the market value of the property which is the subject matter of gift ;
(b)	When the donee is a family member of the donor ;	At the rate of half percent of the market value of the property which is the subject matter of the gift.

Explanation :- For this purpose, family in relation to the donor shall mean the donor's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren."

(4) For Article 45, and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"**45. Partition Instrument of** [as defined in clause (15) of Section 2]

(a)	Where the property involved in the partition is converted for non agricultural purpose or is meant for non agricultural use ;	Rupees two thousand for each shareholder.
(b)	Where the property involved in the partition is agricultural land :	Rupees One hundred for each shareholder.
	Provided that where there is neither any dispute nor any case pending in any Court regarding the land to be partitioned : Provided further that the land being partitioned is not within the provisions of ceiling ;	No duty chargeable
(c)	Where a final order for effecting a partition passed by any revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator	Rupees ten."

	directing a partition, is stamped with the stamps required for an instrument of partition and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed.	

(5) For clause (f-1) of Article 48 and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"48. (f-1) when given without consideration and authorising the agent to sell, gift, exchange or permanently alienate any immovable property situated in the State of Chhattisgarh.		
(a)	For a period not exceeding two years from the date of its execution ;	Rupees one thousand.
(b)	For a period exceeding two years from the date of its execution or when it is irrevocable or when it does not purport to be for any definite term ;	The same duty as Conveyance (No. 23) on the market value of such property.
(c)	When given to father, mother, wife or husband, son, daughter, brother or sister in relation to the executants authorising such person and when it does not purport to be for any definite term.	Rupees one thousand."

(6) For Article 55, and entries in corresponding column (1) and (2), the following shall be substituted, namely :-

"55. **Release**, that is to say, any instrument (not being such release as is provided by Section 23-A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property ;

(a)	When they are not members of family ;	The same duty as Bond (No. 15) for the amount of consideration or market value of the property, whichever is higher, on the share over which the claim is relinquished.
(b)	When they are members of family ;	Half percent of the consideration or the market value of the property, whichever is higher, on the share over which the claim is relinquished.

Explanation :- For the purpose of clause (b), family in relation to the person shall mean the person's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015— ज्येष्ठ 14, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक 5287/डी. 167/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27-05-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 23 सन् 2015)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क में-

(एक) अनुच्छेद 27 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"27-क.	घोषणा, छत्तीसगढ़ प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (2001 का सं. 15) के अधीन.	दस हजार रुपए.
27-ख.	दस्तावेज, पूर्व में रजिस्ट्रीकृत विलेख को संशोधित या उसमें सुधार करना, किन्तु कोई सारवान परिवर्तन न किया जा रहा हो. **स्पष्टीकरण** :- इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये एक सारवान परिवर्तन वह है जो लिखत की मूल अवस्था द्वारा अभिनिश्चित पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों या विधिक स्थिति में परिवर्तन करता हो या अन्यथा मूल रूप से निष्पादित लिखत के विधिक प्रभाव में परिवर्तन करता हो.	एक हजार रुपए."

(दो) अनुच्छेद 33 की स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण** :- इस प्रयोजन हेतु दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्राय होगा, दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री (दौहित्र-दौहित्री) जिसमें पुत्र के पुत्र एवं पुत्री तथा पुत्री के पुत्र एवं पुत्री सम्मिलित है."

(तीन) अनुच्छेद 48 (च-1) के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(घ) यदि संपत्ति छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित हो. एक हजार रुपए"

(चार) अनुच्छेद 55 के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**स्पष्टीकरण** :- इस प्रयोजन हेतु दानदाता के संबंध में परिवार से अभिप्राय होगा, दानदाता का पिता, माता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, बहन और पौत्र-पौत्री (दौहित्र-दौहित्री) जिसमें पुत्र के पुत्र एवं पुत्री तथा पुत्री के पुत्र एवं पुत्री सम्मिलित है."

रायपुर, दिनांक 4 जून 2015

क्रमांक 5287/डी. 167/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.---- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04-06-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2015)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2015. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the State of Chhattisgarh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule I-A of the Principal Act-

(i) After Article 27, the following shall be inserted, namely :-

"27-A.	Declaration under the Chhattisgarh Prakoshtha Swamitva Adhiniyam, 2000 (No. 15 of 2001).	Ten thousand rupees.
27-B.	Document amending or correcting previously registered deed, but not making any material alternations. **Explanation** - For the purpose of this Article a material altertion is one which varies the rights, liabilities or legal position of the parties ascertained from the instrument in its original state or otherwise varies the legal effect of the instrument as originally executed.	One thousand rupees."

(ii) For explanation to Article 33, the following shall be substituted, namely :-

"**Explanation :-** For this purpose, family in relation to the donor shall mean the donor's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren, which includes sons' son and daughter and daughters' son and daughter."

(iii) After clause (c) of Article 48(f-1), the following shall be added, namely :-

"(d)	if the property is situated outside the State of Chhattisgarh.	One thousand rupees"

(iv) For explanation to Article 55, the following shall be substituted, namely :-

"**Explanation :-** For this purpose, family in relation to the donor shall mean the donor's father, mother, husband or wife, son, daughter, daughter-in-law, brother, sister and grandchildren, which includes sons' son and daughter and daughters' son and daughter."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2016—— माघ 9, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2016

क्रमांक 977/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016. —— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 15-01-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2016)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 35 के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(कक) जहां खनि पट्टा नीलामी के आधार पर दिया गया हो-

(एक) जहां पट्टा एक वर्ष से कम अवधि के लिये तात्पर्यित हो;	वही शुल्क जो ऐसे पट्टे के अधीन देय या परिदेय सम्पूर्ण रकम के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(दो) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो एक वर्ष से कम न हो किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किए गए औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के बन्धपत्र (क्रमांक 15) पर लगता है.
(तीन) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो पांच वर्ष से अधिक हो किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की डेढ़ गुनी रकम या मूल्य के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(चार) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो जो दस वर्ष से अधिक हो किन्तु बीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(पांच) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो बीस वर्ष से अधिक हो किन्तु तीस वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के पांच गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

(छः) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो तीस वर्ष से अधिक हो किन्तु एक सौ वर्ष से अधिक न हो;	वही शुल्क जो आरक्षित किये गये औसत वार्षिक स्वामित्व की रकम या मूल्य के आठ गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(सात) जहां पट्टा ऐसी अवधि के लिये तात्पर्यित हो, जो एक सौ वर्ष से अधिक हो या शाश्वत काल के लिये हो;	वही शुल्क जो सम्पूर्ण स्वामित्व रकम, जो कि प्रथम साढ़े बारह वर्ष के पट्टे के संबंध में चुकाया या परिदत्त किया जायेगा, के बराबर बाजार मूल्य या एक चौथाई के लिये हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.
(आठ) जहां पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित न हो;	वही शुल्क जो ऐसे औसत वार्षिक स्वामित्व, जो कि प्रथम दस वर्ष के लिये चुकाया या परिदत्त किया जायेगा यदि पट्टा उस अवधि तक चालू रहा हो, के रकम या मूल्य के तीन गुने के बराबर बाजार मूल्य के लिए हस्तांतरण (क्रमांक 23) पर लगता है.

परंतु यह कि इस अनुच्छेद के खण्ड (ख) एवं (ग) में अंतर्विष्ट कोई बात, इस खण्ड के मामले में लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण- नीलामी के आधार पर खनि पट्टों के मामले में स्वामित्व को छोड़कर अन्य किसी राशि पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य नहीं होगा."

4. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन.

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी, 2016

क्रमांक 977/डी. 30/21-अ/प्रारू./छ.ग./2016 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 जनवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2016)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGAH AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to further amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule I-A.

3. After clause (a) of Article 35 of Schedule I-A of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"(aa) where the mining lease is granted on the basis of auction-

(i) where the lease purports to be for a term less than one year;	The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than five years;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount or value of the average annual royalty reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to the amount or value of one and half times the average annual royalty reserved.
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of average annual royalty reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years but not exceeding thirty years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to five times the amount or value of the average annual royalty reserved.

(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years but not exceeding one hundred years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to eight times the amount or value of the average annual royalty reserved.
(vii) where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to or one-fourth of the whole amount of royalty which would be paid or delivered in respect or the first twelve and half years of the lease.
(viii) where the lease does not purport to be for any definite term;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a market value equal to three times the amount or value of the average annual royalty, which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

Provided that nothing contained in clause (b) and (c) of this Article shall be applicable in respect of this clause.

Explanation- In case of grant of mining lease on the basis of auction no Stamp Duty shall be chargeable on any amount other than royalty."

4. The Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Ordinance, 2015 (No. 3 of 2015) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2021 — फाल्गुन 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3705/डी. 36/21-अ/प्रारू./छ. ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19-02-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 5 सन् 2021)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं.2) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम 1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट हैं) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाये.

अनुसूची 1-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1-क में, 'अनुच्छेद 20क समाशोधन सूची' को उसके खण्डों सहित विलोपित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 10 मार्च 2021

क्रमांक 3705/डी. 36/21-अ/प्रारू./छ. ग./21.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 10-3-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2021)

THE INDIAN STAMP (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2020

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Chhattisgarh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 1-A.

3. In Schedule 1-A of the Principal Act, 'Article 20-A Clearance List' alongwith its clauses shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.